

प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 22.03.2025

कूचरचित दस्तावेज व फर्जी महिला को जमीन की मालिक बता कर जमीन बैनामा कराने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी/स0पु0अ0 गीडा के नेतृत्व मे उ0नि0 विशाल राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 541/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि0 से संबंधित अभियुक्ता इन्द्रावती को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा कूचरचित दस्तावेज व फर्जी महिला को वादी मुकदमा की माँ बता कर वादी की जमीन बैनामा करा लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

इन्द्रावती पत्नी स्व0 रामअचल निवासी कुरमौल थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 541/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 विशाल राय चौकी प्रभारी भड़सार थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. हे0कां0 धर्मेन्द्र कुमार थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. कां0 अजय यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. म0कां0 सरिता यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर